भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1653

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

आईआईएम, अहमदाबाद का बकाया सेवाकर/जीएसटी

†**1653. प्रो॰ सौगत रायः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद को सेवाकर और माल और सेवाकर (जीएसटी) के भारी मात्रा में भुगतान के लिए एक नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क को भी जीएसटी में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जीएसटी प्रणाली कार्यान्वित होने से पहले के कार्यकाल के लिए भी जीएसटी लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): जी हाँ, सेवाकर विभाग में आईआईएम अहमदाबाद को 2014 से समय-समय पर कारण बताओ आठ नोटिस जारी की गयी हैं जिसमें वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक की अवधि की बात आती है और इनमें लगभग 8606.89 लाख रुपए के सेवाकर की मांग की गयी है।

(ख): जी नहीं,

इस सेवाकर की व्यवस्था में किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवा को पहले छूट दी गयी थी और इस छूट को अब भी जीएसटी की व्यवस्था में जारी रखा गया है। किसी शैक्षणिक संस्थान को ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया जो निम्नलिखित तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करता है- (i) विद्यालय के पूर्व की शिक्षा और हायर सेकेण्डरी स्कूल या समकक्ष, (ii) तत्समय लागू किसी कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा और (iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा।

हांलाकि आईआईएम जो कि न तो सरकारी संस्थान है और न ही ऐसा शिक्षण संस्थान है जिस पर सेवाकर एवं जीएसटी की छूट अधिसूचनाएं लागू होती हैं। अतः इस पर उन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का भुगतान करने का दायित्व बनता है जिन्हें किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही संबंधित छूट अधिसूचनाओं में जिनका उल्लेख है।

01.03.2016 से आईआईएम द्वारा चलाए गए विशेष पाठ्यक्रमों जैसे कि (i) दो वर्षीय पूर्ण कालिक पीजीपीएम पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश सीएटी परीक्षा के माध्यम से होता है, (ii) फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और (iii) 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, को अधिसूचना संख्या 9/2016-सेवाकर के तहत छूट दी गई है।

इसके अलावा संयुक्त सचिव टीआरयू के D.O.F. No. 334/8/2016-TRU, दिनाँक 29 फरवरी, 2016 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आईआईएम को उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली छूट स्पष्टीकरण के रूप में है और इसी बात के मद्देनजर पिछली अवधि के संबंधित उक्त कार्यक्रमों को के बारे में सेवाकर के भुगतान की देयता निष्फल हो जाती है। हांलाकि यह मामला 01.03.2016 से पहले की अवधि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अलावा अधिसूचना सं. 12/2017 केन्द्रीय कर (दर), दिनाँक 28.06.2017 के क्रम सं. 67 के तहत उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को दी जाने वाली छूट को जीएसटी में भी जारी रखा गया है और इसे नॉन-रेजीडेंसियल प्रोग्राम्स पर भी लागू किया गया है।

(ग): जी नहीं।

*****